JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संकट

निखिल कुमार,
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, भारत

सारांश

अमेरिका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा के पश्चात, तालिबान के द्वारा एक बार फिर से अफ़ग़ानिस्तान को नियंत्रण में ले लिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद अफ़ग़ानिस्तान में लोकतंत्र की समाप्ति और अफ़ग़ान लोगों को एक बड़ी आपदा में झोंक दिया है। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आगमन के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। इससे पहले 1996 से 2001 तक, अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता तालिबान के नियंत्रण में थी, उस समय वहाँ महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। मौजूदा तालिबान सरकार में भी महिलाओं का उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों का शोषण और अधिकारों का उल्लंघन लगातार जारी है। उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है, यह महिलाओं, अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रस्तुत लेख तालिबानी शासन 2.0 के दौरान महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की स्थिति और महिला अधिकारों की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही मानव के अधिकारों की सुरक्षा में प्रमुख मानवाधिकार संगठनों की भूमिका पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्य शब्द: तालिबान, मानवाधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, मानवाधिकार संगठन।

परिचय (Introduction)

अफ़ग़ानिस्तान, जिसे अप्रैल 1992 में एक इस्लामिक राज्य घोषित किया गया था, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित, एक लैंडलॉक (स्थलरुद्ध) देश है। यह ज्यादातर घाटियों से ढका है और यहाँ पहाड़ व पहाड़ियाँ बहुतायत में हैं । काबुल, अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी है, जो देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। अन्य प्रमुख शहरों में हेरात, कंधार, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद और कुंदुज शामिल हैं । अफ़ग़ानिस्तान की कुल आबादी 15 से 20 मिलियन के बीच अनुमानित है, जिसमें अन्य देशों के शरणार्थी भी शामिल हैं। यहाँ 99.9% से अधिक अफ़ग़ान मुस्लिम हैं, जिनमें से लगभग 20% शिया और 80% सुन्नी मुस्लिम हैं। इसके अलावा, हिंदू, सिख और यहूदी सहित गैर-मुस्लिम समूह आबादी का 0.1% से भी कम हैं (Central Intelligence Agency, 2018)। भाषा और जातीयता के मामले में अफ़ग़ानिस्तान एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर निवास करने वाले कई जातीय समूहों में से पश्तो बोलने वाले पश्तून, फारसी बोलने वाले ताजिक, हजारा, तुर्की बोलने वाले उज्बेक, तुर्कमेन, किर्गिज़ और कज़ाख आदि हैं।

अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है। 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले अफ़ग़ानिस्तान फारसी, यूनानी, मंगोल, मुगल, भारतीय, तुर्की और अन्य साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। 1747 में अफ़ग़ानिस्तान ने दुर्रानी कबीले के अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में पश्तून आदिवासी संघ के रूप में एक स्वतंत्र पहचान की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान, अफ़ग़ानिस्तान में ब्रिटेन और रूस के बीच अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में करने के लिए प्रतिद्वंद्विता का युद्ध चला। अंग्रेजों के द्वारा दो बार (1838-1842 और 1879 में) अफ़ग़ानिस्तान में अपना शासन की स्थापित के लक्ष्य और ब्रिटिश भारत की सीमा को सुरक्षित रखने की कोशिश की, किन्तु दोनों बार ही ब्रिटिश सरकार इसमे विफल रही, और दूसरे प्रयास में उन्हें अफ़ग़ानों से हार का सामना करना पड़ा। 1921 की रावलपिंडी शांति संधि की सहायता से

अफ़ग़ानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता को मान्यता दिए जाने से इन्हे विदेशी मामलों पर कुछ नियंत्रण रखने की अनुमति प्राप्त हो गई थी।

1921 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, राजा अमानुल्लाह ने तुर्की के मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा विकसित धर्मनिरपेक्ष उदार संवैधानिक सुधारों के आधार पर अफ़ग़ानिस्तान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने आधुनिक स्कूल और नए शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए और इसके साथ ही महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी प्रदान की (Chua, 2013)। राजा अमानुल्लाह के सुधारों के कारण अफ़ग़ानिस्तान के पारंपरिक समाज और जिहाद के रूप में विरोध प्रारंभ हो हुआ, यह राजा अमानुल्लाह के पतन के साथ ही समाप्त हुआ। 1930 के दशक में, राजा ज़हीर के द्वारा शहरी दृष्टिकोण के साथ आधुनिकीकरण के नए प्रयास शुरू किए गए। उन्होंने शहरों में आधुनिक शिक्षा को फिर से शुरू किया और इसके साथ ही काबुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। वर्ष 1964 में अफगानिस्तान में एक नया संविधान पेश किया, जिसने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव किया और नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इस समय विचार और प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त थी, किन्तु उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण राजनीतिक ढांचा ध्रुवीकृत हो गया और कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के द्वारा युवा बुद्धिजीवियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। 1973 में संवैधानिक राजतंत्र की समाप्ति के साथ ही अफ़ग़ानिस्तान को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति दाऊद के द्वारा स्वतंत्र प्रेस को निलंबित कर दिया और इसके पश्चात धीरे-धीरे सभी राजनीतिक दलों को समाप्त हो गए। इस समय पर अरब मुस्लिम देशों और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास हुए। सोवियत संघ ने दाऊद सरकार से अपनी दूरी बनाकर विपक्षी पार्टी पीडीपीए का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात अफ़ग़ानिस्तान में अप्रैल, 1978 में खूनी सैन्य तख्तापलट के द्वारा कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। पश्तून राजवंश के अंत होने और कम्युनिस्टों के सत्ता संभालने के कारण अफगानिस्तान की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा सत्ता को कुलीन वर्ग से नौकरशाही शासन में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। 1979 में इस्लामी विपक्षी समूहों और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में विद्रोह आरंभ हो गया और इसके साथ ही दिसंबर 1979 में सोवियत सेना ने 80,000 सैनिकों के साथ अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण किया। सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार 1992 तक सत्ता में रही। अप्रैल 1992 में सोवियत सरकार के जाने और नई सरकार के निर्माण से पहले लगभग 100,000 से अधिक लोगों की मृत्यु इस संघर्ष में हुई। 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई और मुजाहिदीन ने काबुल में प्रवेश किया।

इसके साथ ही अफ़ग़ानिस्तान को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया गया। जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी ने किया। उन्होंने शरिया कानून को देश का कानून घोषित किया और इसके अलावा सभी प्रकार के कानूनों को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप इस्लामी संगठनों ने अपनी सैन्य गतिविधियाँ को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे देश की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। नागरिकों पर अत्याचार, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई। 1993 से 1996 के बीच राजधानी काबुल में भारी गोलाबारी हुई, जिसमें लगभग 40,000 आम नागरिक बेरहमी से मारे गए और शहर का अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। इसके बाद नवंबर 1994 में, तालिबान (जिसका अर्थ है, मुस्लिम धर्म के छात्र) नामक एक नया सैन्य समूह और राजनीतिक दल के रूप में सामने आया। ये सभी शिक्षित ग्रामीण पश्तून युवा थे, जिन्हें ज्यादातर पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों और मदरसों से भर्ती किया गया था। तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चरमपंथी समूहों का समर्थन प्राप्त है और तालिबान पाकिस्तान की जमीयत-ए-उलेमा और इस्लामिक राजनीतिक दलों से जुड़ा था। जिसके संबंध पाकिस्तान के प्रभावशाली औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए थे। 1996 में, तालिबान के द्वारा सत्ता को संभालते ही महिलाओं के अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब महिलाओं से पढ़ने, अकेले बाहर जाने और सार्वजनिक मामलों में बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया (Albrecht et al., 2022)। इसके अलावा, उन्हें बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया और कानूनों को ना मानने पर सार्वजनिक रूप से कोड़े और पत्थर से मारा जाता था।

अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं की स्थिति (Status of Women in Afghanistan)

पिछले 100 वर्षों में अफगानिस्तान के शासकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के कई प्रयास किए थे। उन्होंने संसद में इसके लिए कई कानून पारित किए। अमीर अब्दुल रहमान के द्वारा बाल विवाह, जबरन विवाह और बहु विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया और इसके अलावा महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान किया गया। 1923 में अफगानिस्तान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे। 1964 में महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान किया गया और इसके साथ ही काम करने व अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रता भी थी। 1977 के संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान के सभी महिलाओं और पुरुषों के पास बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और जिम्मेदारियां थी। 1959 में नए कानूनों में शिक्षा और रोजगार के समान अवसर, पर्दे से आजादी और घर से बाहर निकलने की उचित स्वतंत्रता की सिफारिश की। 1970 के दशक के अंत में काबुल के स्कूलों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक

थी। 1980 के दशक के अंत में कम्युनिस्ट सरकार ने भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित किए, जिससे महिलाएं सरकार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पुलिस और सेना में भी शामिल हो सकती थी। हालाँकि, वर्तमान समय में अफ़ग़ानिस्तान तालिबान शासन में पुरुष-प्रधान शासन है। 7 सितंबर 2021, को अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबान ने फिर से सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और इसके कारण महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं। इस सत्ता परिवर्तन के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए है। यूएनडीपी के सर्वेक्षण के अनुसार, सत्ता परिवर्तन के बाद कोविड-19, गरीबी, खाद्य सुरक्षा और मानवाधिकारों का संकट गहरा गया है, इसमे सबसे अधिक खतरा अफ़ग़ान महिलाएं और लड़कियों के लिए हैं। तालिबान 2.0 ने अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने कहा था, कि महिलाओं को इस्लामिक कानून के तहत अध्ययन और काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन उनकी यह प्रतिबद्धता जल्द ही समाप्त हो गई। इसके पश्चात महिलाओं पर नए प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए है। उनके साथ पुरुष साथी (रिश्तेदार) का होना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं के कपड़े, शिक्षा और रोजगार के अवसर तालिबान द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान में पितृसत्तात्मक ढांचा नई ताकत के साथ फिर से बन रहा है। वर्ष 2004 के संविधान के द्वारा प्रदान काम करने के अधिकार के बावजूद तालिबान सरकार 2.0 में महिलाओं को जबरदस्ती नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महिला पत्रकारों को काम करने से रोकने के लिए, उन पर हमले किए गए या हिरासत में लिया गया। इसके अलावा महिला अभिनेत्रियों को फिल्मों में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। 14 नवंबर 2021 में तालिबान के द्वारा 34 प्रांतों में से 27 प्रांतों में महिलाओं को उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके कारण लड़कियों को स्कूल भेजने में गतिरोध पैदा हो गया है। उच्च शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त न होने के कारण महिलाएं घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। महिलाएं सुरक्षा एवं डर के कारण बिना पुरुष साथी के कभी बाहर नहीं जा सकती हैं। तालिबान के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि वे महिलाओं के अधिकारों को शरिया के कानूनों के अनुसार मान्यता प्रदान करेगे, किन्तु तालिबान के द्वारा अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे अधिकार क्या हैं (Human Rights Watch, 2022)।

अफ़ग़ानिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति

अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बदतर है। देश में 84.7-89.7% सुन्नी मुस्लिम आबादी है, जबकि 10% से 15% शिया बहुल क्षेत्र हैं और 1% हिंदू, सिख आदि अन्य आबादी है(Minority Rights Group International, 2018)। तालिबान 2.0 में इस 1% आबादी का निरंतर उत्पीड़न, इनके अधिकारों का हनन और इन्हे पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है (Kumar, 2017)। अफगानिस्तान में कुल आबादी में पश्तून आबादी का 42%, ताजिक 27%, हजारा 9%, उज्बेक 9%, तुर्कमेन 3%, बलूची 2% हैं । द वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान की 54.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और मजदूरों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता और उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हजारा और शिया बहुल क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं (स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सड़कें) की हालत सबसे अधिक खराब स्थिति में हैं। अल्पसंख्यकों की भूमि और संपत्ति उनसे जबरन छीनी जा रही है। हिंदू और सिखों पर धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बनाया जाता है और उनके लिए शिक्षा तथा इस्लाम का सार्वजनिक अभ्यास अनिवार्य कर दिया गया है (Emadi, 1997)। उन्हे रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, जिससे वे दर्द और अत्याचार के साथ जीने को मजबूर हैं।

अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विचार

संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वय कार्यक्रम में यह माना गया, कि अफगानिस्तान में महिलाएं, लड़कियां और अल्पसंख्यक लोग खतरे में हैं। तालिबान घर-घर जाकर तलाशी ले रहा है। अफ़ग़ानिस्तान की मानवाधिकार आयुक्त शहरजाद अकबर ने जोखिम में पड़े लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सत्र बुलाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर मैरी लॉलर ने कहा कि मानवाधिकार रक्षकों को यौन उत्पीड़न, गिरफ्तारी, पिटाई और जबरन गायब किए जाने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (OHCHR) का स्टाफ काफी कम है। अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से गिर चुकी है और गरीबी व भूख लगातार बढ़ रही है। सुश्री अल-नाशिफ ने कहा कि लोग बुनियादी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल श्रम और बाल विवाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हैं। वर्तमान समय में लगभग 4.2 मिलियन अफ़ग़ान युवा स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से 60% लड़कियां हैं। लड़कियों की माध्यमिक स्कूलों में जाने की संख्या गिर गई है, जिसका एक कारण महिला शिक्षकों की कमी भी है। मलाला फंड के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के कार्यों ने सुरक्षा परिषद को लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। तालिबान 2.0 विकास, आधुनिकता और तकनीक का कड़ा विरोध करता है ।

तालिबान 2.0 के प्रति भारत का दृष्टिकोण

हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह कहा गया कि भारत, अफ़ग़ान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को तेज करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने अब तक 20,000 टन गेहूं, 13 टन दवाएं और 50 मिलियन कोविड-19 टीके अफ़ग़ानिस्तान भेजे हैं, जो इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रदान किए गए। भारत एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफ़ग़ानिस्तान से लाभान्वित होता है, क्योंकि भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के विकास और पुनर्वास में बहुत अधिक निवेश किया हुआ है। भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बांध, मोटरवे, संसद भवन और चिकित्सा सुविधाओं सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है (Pant, 2022)। भारत अफ़ग़ानिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का पक्षधर है। अवैध प्रवासन और रोहिंग्या जैसे मुद्दे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं (Times of India, 2021)। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारतीय दूतावास बंद है, लेकिन भारत की एक उच्च-स्तरीय टीम ने अफ़ग़ानिस्तान में उन स्थलों का दौरा किया, जहाँ भारत सरकार सहायता दे रही है। अफ़ग़ानिस्तान में हार्ड पावर (सैन्य बल) के प्रयोग से बदलाव नहीं लाया जा सकता, इसके स्थान पर भारत वर्तमान में तालिबान 2.0 के साथ महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बातचीत करके समाधान निकाल सकता है।

निष्कर्ष

अफ़ग़ानिस्तान में वर्तमान मानवीय परिदृश्य का विश्लेषण करने से भयावह निष्कर्ष सामने आता हैं, जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक और सामाजिक त्रासदी बन चुका है। तालिबान के पुन: सत्ता में आने के बाद से, अफ़ग़ानिस्तान में तेजी और व्यवस्थित रूप से लैंगिक अधिकारों का पतन देखा गया है। जैसा कि इस लेख में चर्चा की गई है, प्रस्तुत संकट केवल कानूनों में बदलाव या प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है, यह पूरी सभ्यता को पीछे ले जाने के रूप में दिखाई देता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह स्थिति लैंगिक रंगभेद का एक ज्वलंत उदाहरण है। एक देश जो अपनी आधी आबादी को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक दृश्यता से पूरी तरह मिटा देने पर तुला हो, वह न केवल अपने नागरिकों के वर्तमान को नष्ट कर रहा है, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों की रीढ़ भी तोड़ रहा है। जब लड़कियों के हाथों से किताबें छीन ली जाती हैं और महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाला सामाजिक और आर्थिक शून्य देश को दशकों तक गरीबी और अज्ञानता के गर्त में धकेल देता है। इसके अलावा धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों विशेषकर हजारा, शिया और अन्य समुदायों की स्थिति यह दर्शाती है कि बहुलवाद और सहिष्णुता के विचार को किस प्रकार कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए भय, विस्थापन और लक्षित हिंसा का वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि वे देश में द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएं या पलायन करने पर मजबूर हो जाएं। यह दमनकारी नीतियां न केवल आंतरिक रूप से समाज को खंडित कर रही हैं, बल्कि अफ़ग़ानिस्तान की उस समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को भी नष्ट कर रही हैं जो सदियों से इसकी पहचान रही है। इन समुदायों के अधिकारों का संरक्षण किए बिना, अफ़ग़ानिस्तान में किसी भी प्रकार की स्थायी शांति या स्थिरता की कल्पना करना व्यर्थ है।

अंततः, यह संकट वैश्विक समुदाय की अंतरात्मा पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न भी लगाता है। अफ़ग़ानिस्तान के लोगों, विशेषकर वहां की साहसी महिलाओं और डरे हुए अल्पसंख्यकों को उनके हाल पर छोड़ देना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवाधिकार संगठनों की सामूहिक विफलता को उजागर करता है। निष्कर्षतः, अफ़ग़ानिस्तान में अधिकारों का यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियाँ अत्यंत निराशाजनक प्रतीत होती हैं, किन्तु अफ़ग़ान महिलाओं का प्रतिरोध और मानवाधिकार रक्षकों का संघर्ष लगातार जारी है। इस समय विश्व समुदाय को निंदा प्रस्तावों से आगे बढ़कर ठोस कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र (UNHSC) को महिलाओं के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक आयोग गठित करने के उद्देश्य से एक विशेष सत्र आयोजित करना चाहिए। तालिबान के साथ संयुक्त राष्ट्र के समझौता ज्ञापन (MoU) को रद्द किया जाना चाहिए और अफ़ग़ान महिलाओं को निर्णय लेने में समान भागीदार बनाने के लिए फिर से बातचीत होनी चाहिए। मानवीय सहायता की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक मानवाधिकार निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारों का उल्लंघन न हो ।

संदर्भ सूची

1. Albrecht, C., Rude, B., & Stitteneder, T. (2022). Women in Afghanistan: Developments over the last 20 years and the return of the Taliban. *CESifo Forum, 23*(1), 57–62. http://www.econstor.eu/handle/10419/250961
2. Central Intelligence Agency. (2018). *The world factbook: Afghanistan*. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html

3. Chua, A. (2013). The promise and failure of King Amanullah's modernisation program in Afghanistan. *ANU Undergraduate Research Journal, 5*, 1–16. https://doi.org/10.22459/aurj.05.2013.04
4. Emadi, H. (1997). The Hazaras and their role in the process of political transformation in Afghanistan. *Central Asian Survey, 16*(3), 363–387. https://doi.org/10.1080/02634939708400997
5. Emadi, H. (2002). *Repression, resistance, and women in Afghanistan*. Greenwood Publishing Group.
6. Exploring Facts. (2021, September 7). *Taliban 2.0 and its impact upon India*. Times of India Blog. timesofindia.indiatimes.com/readersblog/exploringfacts/taliban-2-0-and-its-impact-upon-india-37194/
7. Fratus, M. (2021, August 18). *What was life like under Taliban rule in the 1990s?* Coffee or Die. https://coffeeordie.com/taliban-rule-life/
8. Freedom House. (2019, March 11). *Freedom in the world 2018: Afghanistan*. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/afghanistan
9. Hucal, S. (2016, June 27). *Afghanistan: Who are the Hazaras?* Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/afghanistanhazaras-160623093601127.html
10. Human Rights Watch. (2021, September 29). *For Afghan women, the frightening return of "Vice and Virtue."* https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtu
11. Islamic Republic of Afghanistan. (2009). *Law on elimination of violence against women (EVAW)*. Ministry of Justice. https://www.refworld.org/pdfid/5486d1a34.pdf
12. Islamic Republic of Afghanistan. (2015). *Afghanistan's national action plan on UNSCR 1325- Women peace and security*. Ministry of Foreign Affairs.
13. Kumar, R. (2017, January 1). *The decline of Afghanistan's Hindu and Sikh communities*. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/12/decline-afghanistan-hindu-sikh-communities-161225082540860.html
14. Levi, S. (2009). *The long, long struggle for women's rights in Afghanistan*. Origins. https://origins.osu.edu/article/long-long-struggle-women-s-rights-afghanistan
15. Mahbubani, K. (2021, August 24). *Don't blame the Afghans*. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/08/24/afghanistan-withdrawal-corruption-foreign-aid-military-diplomacy/
16. Marsden, P. (2001). *Afghanistan: Minorities, conflict and the search for peace*. Minority Rights Group International.
17. Minority Rights Group International. (2018). *Afghanistan*. https://minorityrights.org/country/afghanistan
18. Nehan, N., & Cox, M. (2022). The rise and fall of women rights in Afghanistan. *LSE Public Policy Review, 2*(3), Article 3. https://doi.org/10.31389/lseppr.59
19. OHCHR. (2022, March). *Failure to adhere to commitments to re-open schools for all girls deeply disappointing and damaging for Afghanistan, Bachelet warns*. www.ohchr.org/en/statements/2022/03/failure-adhere-commitments-re-open-schools-all-girls-deeply-disappointing-and
20. OHCHR. (2022, May). *Facing critical human rights challenges, Afghanistan at a crossroads, says UN expert in Kabul*. www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/facing-critical-human-rights-challenges-afghanistan-crossroads-says-un
21. Pant, H. V. (2022, July 10). *Taliban eager to increase relations with India, announced different stand from China and Pakistan on Kashmir*. ORF. www.orfonline.org/hindi/research/taliban-kashmir-eager-to-enhance-ties-with-india/